कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 38988-39022/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : इलाहाबाद : फरवरी 06 ,2018

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–07/2018/2018 ई–2/तेरह–2018–46/2017 दिनांक 25.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर परिवर्तन कर ई–लाटरी द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्राप्त कर व्यवस्थापन कराये जाने का प्राविधान किया गया है तथा वर्ष 2018–19 के लिये प्रदेश का वार्षिक राजस्व लक्ष्य रूपया 20402.99 करोड़ निर्धारित किया गया है। जिला लाइसेंसिंग प्राधिकारी की हैसियत से आपके कुशल नेतृत्व में ई–लाटरी के माध्यम से आबकारी दुकानों का शतप्रतिशत व्यवस्थापन सुनिश्चित कराये जाने की शीर्ष प्राथमिकता है। चूँकि जनपद का राजस्व आबकारी दुकानों के सफलतापूर्वक व्यवस्थापन पर ही निर्भर है तथा जनपद के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति करने का दायित्व भी आपका है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों में कार्यरत जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/ आबकारी निरीक्षकों की ड्यूटी यू0पी0 बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में लगायी गयी है, जिसके कारण आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है तथा शत्प्रतिशत व्यवस्थापन सम्पन्न न होने की स्थिति में निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य रूपया 20402.99 करोड़ की प्राप्ति कर पाना दुष्कर होगा।

अतः अनुरोध है कि राजस्व के व्यापक हित में जनपदों के सभी आबकारी अधिकारियों एवं कार्मिकों को आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन कार्य से इतर किसी अन्य प्रकार के कार्यों में लगायी गयी ड्यूटी से अवमुक्त करने कष्ट करें।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स उ0प्र0।
2– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
4– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5– समस्त पटल सहायक/गार्ड फाइल लाइसेंस अनुभाग।

(जी0सी0 मिश्र)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,(मुख्यालय)
कार्या0आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।